

**बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग**

पत्रांक-44/ग्रा0-1-232/2008/...../पं0र00

पटना, दिनांक.....

प्रषक.

संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार पटना।

सभी जिला पदाधिकारी

विषय:- बिहार पंचायत राज अधिनियम-2006 में प्रावधानित ग्राम रक्षा दल संगठन एवं दलपतियों द्वारा किये जा रहे कार्यों के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 6472 दिनांक 05.11.2012

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रारंभिक पत्र द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम-2006 में प्रावधानित ग्राम रक्षा दल संगठन एवं दलपतियों द्वारा किये जा रहे कार्यों के संबंध में ग्राम रक्षा दल से चुनिंदा दलपतियों की भूमिका एवं उपयोगिता के संदर्भ में जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में अपना मतलब के साथ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था तथा इस बिन्दु पर भी प्रतिवेदन मांगा गया था कि वे अपने कार्यों को करने में कितना सक्रिय एवं गतिशील है तथा वे अपने दायित्वों का निर्वहन कर पा रहे हैं अथवा नहीं। परन्तु आवश्यक तालिफत प्रतिवेदन अप्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर तालिफत प्रतिवेदन आतिशयित रूप से प्रेषित की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

६/-

संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक ०३-१२-२०१२

डा.पं0क:-44/ग्रा0-1-232/2008/6722/पं0र00

प्रतिलिपि:- सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

30/11/12

पत्रांक 150/पं0, सामाराम, दिनांक 22.12.2012
प्रतिलिपि - सभी पुरक विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि इस पत्र के माध्यम से कर्मचारी संकित कार्ड का उपलब्ध सुनिश्चन किया जाय।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी
सामाराम, सामाराम

Handwritten notes on the left margin:
- 15/12/12
- DPRO, Patna
- 944
- 15-12-12
- 30/11/12
- 30/11/12